

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गिरधरसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अधिकृत प्रतिनिधि RENEW SOLAR (SHAKTI THREE) PRIVATE LTD जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सोविक जाना निवासी हुकमसिंह की ढाणी के सामने जसे का गाव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (आदेश 39 नियम 2क)

मुकदमा नम्बर 531/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.11.2025	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा आदेश 39 नियम 9 क सीपीसी के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 27.11.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी शिव</p> <p>पत्रावली पत्र हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली में आदेश 39 नियम 9 क कार्यवाही नहीं होना कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 15.11.26 को पेश हो।</p>	
10.12.25	<p>प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली तलब करने एवं त्वरीत सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी के तामील मुद्रा नोटिस प्राप्त। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी का इत्तफा होकर दिनांक 16.12.25 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
शिव

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15.05.26

पत्रावली पैग / वाकुनाथ अनुपाखिता
पत्रावली में प्रभावी पेंरवी हेतु, न्यायालय समय
में पत्रकारान्त व उभयपक्ष अधिवक्ता को रूक-रुक-
कर आवाजे ही जाने के वाकनूद कोर्ट भी
उपाखित नहीं। पत्रावली में प्रभावी पेंरवी नहीं
होने तथा अनुपाखित 'रहने' से, उक्त पत्रावली
उसी स्टेशन पर अदम पेंरवी व अदम
समरी में खारिज ली जाती हों।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर, नंबर से
कम होकर, दायित्व दफ्तार हों।

उपखण्ड अधिकारी
शिव